न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 17/2011 पुनः दर्ज 425/2013

प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक : 21/02/2021 व 18/10/2013

निर्णय दिनांक : 13/01/2021

1. श्रीमती कंवरी देवी पुत्री घीसा धर्मपत्नि प्रकाश उम्र 47 साल, जाति जाट, निवासी नाचनीपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।
2. श्रीमती लाली देवी पुत्री घीसा धर्मपत्नि कैलाश उम्र 42 साल, जाति जाट, निवासी नाचनीपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।
3. श्रीमती जडाव देवी पुत्री घीसा धर्मपत्नि कानाराम उम्र 32 साल, जाति जाट, निवासी नाचनीपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।

——प्रार्थीयागण

बनाम

1. घीसा पुत्र बोदूराम उम्र 65 साल, जाति जाट, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।
2. रामचरण पुत्र रामू, उम्र 42 साल जाति जाट, निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।
3. मैनेजर यूको बैंक शाखा दूदू जिला जयपुर, राज0।
4. मैनेजर एस.बी.बी.जे बैंक, शाखा दूदू जिला जयपुर।
5. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री राजेन्द्र सिंह खंगारोत
श्री रामजीलाल शर्मा
विद्वान अधिवक्ता .प्रार्थीगण

श्री महेन्द्र सिंह नाथावत
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

श्री ताज मौहम्मद रंगरेज
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।
अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 13/07/2021

— निर्णय —

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खतौनी संख्या 124 के आराजी खसरा नम्बर 3713, 3729, 3846 लगायत 3851, 3853, 3865, 3866 कुल किता 10 कुल रकबा 1.10 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा, खतौनी सख्या 295 के आराजी खसरा नम्बर 3849, 3852, 3854 कुल किता 03 कुल रकबा 0.53 हैक्टयर में 1/2 हिस्सा, खतौनी संख्या 296 के आराजी खसरा नम्बर 1593 लायत 1596, 3927 कुल किता 05 कुल रकबा 6.84 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा, खतौनी संख्या 300 के आराजी खसरा नम्बर 192, 193 कुल किता 02 कुल रकबा 3. 10 हैक्टेयर में हिस्सा 1/4, खतौनी संख्या 343 के आराजी खसरा नम्बर 1756 रकबा 0.25 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खतौनी संख्या 349 के आराजी खसरा नम्बर 1781 रकबा 0.20 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खतौनी संख्या 362 के आराजी खसरा नम्बर 3922 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3923 रकबा 0.33 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.46 हैक्टेयर, खतौनी संख्या 364 के आराजी खसरा नम्बर 2100, 2101, 2178 कुल किता 03 कुल रकबा 0.14 हैक्टेयर हिस्सा 1/4, खतौनी संख्या 368 के आराजी खसरा नम्बर 2182 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2214 रकबा 0.22 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर सम्पूर्ण का, खतौनी संख्या 458 के आराजी खसरा नम्बर 2811, 2815, 3070, 3147, 3149, 3150, 3174, 3175, 3176, 3210, 3211, 3212, 3263, 3313, 3314, 3445, 3446, 3451 कुल किता 18 कुल रकबा 10.67 हैक्टेयर वाके ग्राम खुडियाला तहसील मौजमाबाद हिस्सा 1/2 स्व0 बोदू उर्फ बोदिया के नाम दर्ज चली आ रही थी, जिनके स्वर्गवास पर प्रार्थीनीयों के पिता घीसा (अप्रार्थी संख्या 1) के नाम से विरासत द्वारा खातेदारी प्राप्त हुयी। स्व0 बोदू प्रार्थीनीयों के दादाजी रहे है एवं आराजी मौरूसी मुश्तर्का आराजी है। अप्रार्थी संख्या 1 के कोई जायन्दा पुत्र नही है एवं न ही किसी को गोद पुत्र भी नही रखा है। विवादित आराजी मौरूसी मुश्तर्का आराजी होने से प्रार्थीनीयों का बाई बर्थ (पैदाईशी) हिस्सा है और अप्रार्थी संख्या 1 के कोई जायन्दा पुत्र नही होने से केवल मात्र प्रार्थीनीया ही उत्तराधिकारी

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

है। अप्रार्थी संख्या 1 की वृद्वावस्था है, जिनकी सेवा–सुश्रुषा प्रार्थीनीयों द्वारा ही की जाती हैं। सम्पूर्ण आराजी को प्रार्थीनीयों द्वारा ही काश्त करवायी जाती है, आज भी मौके पर फसल उन्हालू चने, गैहू की आराजी में प्रार्थीनीयों ने बो रखी है। अप्रार्थी संख्या 1 को प्राप्त अन्य आराजीयात को जरिये विक्रय–पत्र से प्रार्थीनीयों के हक में आराजी नाम लगवा दी, जिसका इन्द्राज भी प्रार्थीनीयों के नाम से हो गया है। प्रार्थीनीयों के पिता की विवादित आराजीयात को भी अपने नाम लगाने के लिये प्रार्थीनीयों ने अपने पिता (अप्रार्थी संख्या 1) से कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा कि पटवारी से जाकर जमाबन्दी ले आवो, बीमार रहता हूँ, नाम हो जाये तो अच्छा ही हैं। प्रार्थीनीयों के द्वारा पटवार हल्का से दिनांक 13/02/2011 को जमाबन्दी की जानकारी प्राप्त करने पर जाहिर हुआ कि विवादित आराजी में से खतौनी संख्या 343, 347, 362, 364, 295, 296, 300, 193 में दर्ज हिस्से की आराजी का अप्रार्थी संख्या 2 के हक में विक्रय–पत्र होकर नामान्तरकरण संख्या 43 दिनांक 13/12/2008 को खोला जा चुका है, जिसकी जानकारी प्रार्थीनीयों ने अपने पिता अप्रार्थी संख्या 1 को दी तो विक्रय–पत्र बहक अप्रार्थी संख्या 2 के बनवाने की बात से इन्कार हो गये और कहां कि न तो कभी अप्रार्थी संख्या 2 को गोद पुत्र रखा है एवं न ही कभी भी विक्रय–पत्र बनवाया ही हैं। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा तहसील मौजमाबाद से विक्रय–पत्र दिनांक 04/03/2008 की नकल प्राप्त करने पर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थीनी के क में अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अपनी अन्य आराजीयात के विक्रय–पत्र दिनांक 04/03/2008 को बनावाये थे, तब अप्रार्थी संख्या 2 भी अन्य गवाहान के साथ में मौजूद था, जिसने कातिब से मिलकर प्रार्थीनीयों के विक्रय–पत्रों के साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 के फोटो समस्त व अगुंठा निशानी करवा ली और जमाबन्दी विक्रय–पत्र बहक अप्रार्थी संख्या 2 के हक में करवा लिया, जिसकी वरवक्त जानकारी प्रार्थीनीयों एवं अप्रार्थी संख्या 1 को नही हुयी। अप्रार्थी संख्या 1 के कराया गया दिनांक 04/03/2008 को नूमाईशी विक्रय–पत्र बमुकाबले प्रार्थीनीयों के निम्न आधार पर बातिल एवं बेअसर एवं शुन्य हैः– (क) यह कि नूमाईशी विक्रय–पत्र दिनांक 04/03/2008 बहक अप्रार्थी संख्या 2 एक षडयन्त्र का हिस्सा रहा है, जिससे किसी भी प्रकार के अधिकार उत्पन्न नही हों सकते है। (ख) यह कि नूमाईशी विक्रय–पत्र दिनांक 04/03/2008 में दर्ज आराजी प्रार्थीनीयों की मौरूसी मुश्तर्का आराजी है, जिसमें प्रार्थीनीयों का बाई बर्थ हिस्सा है। (ग) यह कि नूमाईशी विक्रय–पत्र बिना अफल एवं बिना क़ब्जे के है, जिससे स्वतः ही रिरस्तनीय हैं। (घ)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) कूद

यह कि विक्रय–पत्र में अप्रार्थी संख्या 2 को अप्रार्थी संख्या 1 का दत्तक पुत्र दर्ज किया गया हे, जो कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 का दत्तक पुत्र नही रहा है, न ही हैं। (ड) यह कि नूमाईशी विक्रय–पत्र दिनांक 04/03/2008 बिना जानकारी के एवं बिना सहमति के करवाया गया है, इसलिये निरस्तनीय हैं। (च) यह कि अप्रार्थी संख्या 1 के 1/4 हिस्से से अधिक की आराजी का विक्रय–पत्र में विक्रय होना दर्ज किया है, जो कानूनन नहीं किया जा सकता है, इसलिये विक्रय–पत्र शुन्य हैं। (छ) यह कि दिनांक 04/03/2008 को अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थीनीयों के हक में विक्रय–पत्र बनवाये गये थे, कातिब के साथ साजिश रचकर नूमाईशी विक्रय–पत्र बनवाये गये हैं। विवादित आराजीयात में अप्रार्थी संख्या 1 को स्व0 बोदू उर्फ बोदिया से मिली विरासत की आराजी वर्णित वाद–पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित हिस्से से प्रार्थीनीयों को एवं अप्रार्थी संख्या का 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, हिस्सा के खातेदार काश्तकार की हैसियत से बाई बर्थ खातेदार है, जिसको अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कानूनन विक्रय नही किया जा सकता है, इसलिये प्रार्थीनीयों अपने हिस्से की आराजी माननीय न्यायालय से घोषणा करवाने की अधिकारी हैं। अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी का नूमाईशी विक्रय–पत्र दिनांक 04/03/2008 को अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा बनवा लेने एवं मौरूसी मुश्तर्का आराजी का विरासत को नामान्तरकरण अप्रार्थी संख्या 1 के होने से एवं प्रार्थीनीयों को अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा आराजी नाम नही करवाने से दिनांक 15/02/2011 को इन्कार करने पर यह प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जाना लाजिमी हुआ है।

प्रार्थीयागण ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि "अतः प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से सादर निवेदन है कि प्रार्थीनीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित आराजीयात वर्णित प्रार्थना–पत्र के पैरा संख्या 3 में से प्रार्थीनीयों को बेदखल नही करे न किसी प्रकार का हस्तांतरण करें, न ही विवादित आराजी को खुर्दबुर्द करें न स्वंय करे न अन्य से करावें। इस हेतु तहसीलदारजी मौजमाबाद को लिखा जावें।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी। दिनांक 11/11/2012 को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 बावजूद तामिल माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री ताज मौहम्मद एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया

सहायक कलक्टर

जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री महेन्द्र सिंह एडवोकेट ने अण्डरटेकिंग ली।

दिनांक 25/04/2012 को अप्रार्थी संख्या 2 का जवाब पेश हुआ। दिनांक 31/08/2016 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री महेन्द्र सिह एडवोकेट द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 फोरमल पक्षकार हैं।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की बहस प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबन्दी खाता संख्या 124, 368, 458, 295, 296, 300, व 2061, नकल विक्रय–पत्र, नकल राशनकार्ड तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया।

उपरोक्त अवलोकन से प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का विवेचन निम्न प्रकार से है :–

<u>प्रथम दृष्ट्या मामला</u>– प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के समर्थन में जमाबन्दीयां पेश की गयी है, उसके अनुसार खाता संख्या 124, 295, 296, 300, 343, 349, 362, 364, 368, 458 की आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज रिकार्ड है प्रार्थीगण ने उक्त आराजीयात को पैतृक बताते हुये अपना हिस्सा अंकित कर अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाने का निवेदन किया हैं, अवलोकन से यह पाया जाता है कि विवादित आराजीयात पैतृक है या नहीं? विवादित आराजीयात में प्रार्थीगण का किसी प्रकार से हक हकूक बनता है या नही आदि का विनिश्चय मूल वाद के निस्तारण पर हो सकेगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में विवादित आराजीयात जो कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से है, उसको यदि पाबन्द नही किया गया तो वह विवादित आराजीयात को खुर्दबुर्द कर देगा, इसलिये कानूनन अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है इस प्रकार प्रकरण के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता हैं।

<u>सुविधा का सन्तुलन</u> – यह कि यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द नही किया गया तो वे विवादित आराजीयात का हस्तान्तरण कर सकते है, जिससे प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी एवं प्रकरण में भी बेवजह पेचीदगीयां बढेगी, जो प्राकृतिक न्याय के

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) धूदू

सहायक कलक्टर
(फस्ट ट्रेक) धूदू

सिद्धान्तों के विपरीत होगा। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता हैं।

<u>अपूर्तनीय क्षति</u> – चूंकि प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का सन्तुलन उक्त दोनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाये जाते है, यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी, ऐसी स्थिति में अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पायी जाती हैं।

इस प्रकार प्रथम प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है, जिसको प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया हैं। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित समझता हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खतौनी संख्या 124 के आराजी खसरा नम्बर 3713, 3729, 3846 लगायत 3851, 3853, 3865, 3866 कुल किता 10 कुल रकबा 1.10 हैक्टेयर, खतौनी सख्या 295 के आराजी खसरा नम्बर 3849, 3852, 3854 कुल किता 03 कुल रकबा 0.53 हैक्टयर, खतौनी संख्या 296 के आराजी खसरा नम्बर 1593 लायत 1596, 3927 कुल किता 05 कुल रकबा 6.84 हैक्टेयर, खतौनी संख्या 300 के आराजी खसरा नम्बर 192, 193 कुल किता 02 कुल रकबा 3.10 हैक्टेयर, खतौनी संख्या 343 के आराजी खसरा नम्बर 1756 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खतौनी संख्या 349 के आराजी खसरा नम्बर 1781 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खतौनी संख्या 362 के आराजी खसरा नम्बर 3922 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3923 रकबा 0.33 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.46 हैक्टेयर, खतौनी संख्या 364 के आराजी खसरा नम्बर 2100, 2101, 2178 कुल किता 03 कुल रकबा 0.14 हैक्टेयर, खतौनी संख्या 368 के आराजी खसरा नम्बर 2182 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2214 रकबा 0.22 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर सम्पूर्ण का, खतौनी संख्या 458 के आराजी खसरा नम्बर 2811, 2815, 3070, 3147, 3149, 3150, 3174, 3175, 3176, 3210, 3211, 3212, 3263, 3313, 3314, 3445, 3446, 3451 कुल किता 18 कुल रकबा 10.67 हैक्टेयर वाके ग्राम खुडियाला तहसील मौजमाबाद में प्रार्थीनीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें न विवादित आराजीयात से प्रार्थीगण को

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

सहायक कलक्टर

बेदखल करें तथा न ही रहन, बेय, मुन्तकिल विक्रय आदि करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 13/01/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)